

प्रेषक.

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबंधक,  
एसओआरओ प्रो आईओटीओआईओ,  
मैकपुर भूटा बरेली।

पत्रांक: ३०७ /टी-३/रा०प०/सं०/मान्यता/III-बैठक/2022

लखनऊ दिनांक: 28 जुलाई, 2022

विषय- निजी औद्योगिक संस्थानों के व्यवसायों/एककों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के संबंध में प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में गठित रिकमण्डेशन कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 24.06.2022 को प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में गठित रिकमण्डेशन कमेटी की बैठक सम्पन्न हुयी। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत डीओजीओटीओ के पत्र संख्या-DGT-Aff011(51)/17/2022 O/oDir (TC) Dated 19-07-2022 (प्रति संलग्न) में से मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किया गया है, जिसका विवरण नीचे अंकित किया जा रहा है:-

S. No	Name of Institute with address/NCVT MIS Code	Trade for which affiliation sought	Units for Which affiliation sought/recommended by		
			Institute Apply for	Trade/Units Recommended by (ICVC)	Trade/Units Approved by DGT SCAA
1	2	3	4	5	6
1-	S.R. Pvt. ITI, Village-Maikpur, Bhuta, Bareilly (New) TMP9130PR1580292573	Electrician	2(2+0)	2(1+1)	2(1+1)
		COPA	2(2+0)	2(1+1)	2(1+1)
		Architectural Draughtsman	2(2+0)	2(1+1)	NR
		Mechanic Refrigeration and Air Conditioner	2(2+0)	2(1+1)	NR
		Health Sanitary Inspector	2(2+0)	2(1+1)	2(1+1)
		Radiology Technician	2(2+0)	2(1+1)	2(1+1)

DGT-Aff011(51)/17/2022 O/o Dir(TC) Dated 19-07-2022

विशेष- यह भी अवगत किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी आश्विन भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.07.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

माननीय,  
(मानपाल सिंह)  
अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)

पत्रांक: /टी-३/रा०प०/सं०/मान्यता/III-बैठक/2022 तद्विनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- संबंधित मण्डलीय संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण/शिक्षण) को इस आशय से प्रेषित है कि वह उपरोक्त बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थानों को भी अपने स्तर से अवगत करावे।
- संबंधित राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थान की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- गार्ड फाइल हेतु।
- संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उद्योग, अलीगंज, लखनऊ।

(मानपाल सिंह)  
अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)